संख्या: 4/2016/179ए/61-2016.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2016.

विषय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालकों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायें लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उ0 प्र0 में निम्न तालिका के अनुसार आउट सोर्सिंग के माध्यम से न्यूनतम दर पर सृजित पदों, जिनका कार्यकाल शासनादेश संख्या'182/61-2015, दिनांक 27 फरवरी, 2015 के माध्यम से दिनांक 15 फरवरी, 2015 तक बढाया गया था, को निर्वाचन विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता तथा आगामी विधान सभा के सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के संदर्भ में उनके सम्मुख उल्लिखित अवधि के लिए बढाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	पद स्वीकृति की अवधि
1	वाहन चालक	02 (दो) पद	दिनांक 15.02.2017 तक।
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05 (पांच) पद	दिनांक 15.02.2017 तक।

2- आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जाने वाले स्टाफ पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक''2015-निर्वाचन आयोजनेत्तर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान'' मद के नामें डाला जायेगा।

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12/275 /दस-2016 दिनांक 08 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

संख्या: 4/2016/179ए(1)/61-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम,/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -12
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।